प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.07.2026

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की की हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- वादिया द्वारा थाना कौशाम्बी पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 15.07.2026 को शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र अब्दुल मजीद द्वारा वादिया की पुत्री के साथ मारपीट की है व जान से मारने की नीयत से चौथी मंजिल से धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार दिनांक 16.07.2026 को थाना कौशाम्बी पर धारा 115(2), 109 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की दौराने इलाज मृत्यु हो जाने पर धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। आज दिनांक 17.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी जितेन्द्र का किराये का मकान भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी पूजा कालोनी जीवन गेट के पास लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को आनन्द विहार बार्डर के पास सार्वजनिक शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शानू उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं भोवापुर में किराये पर रहता हूं। और ड्राईवर का काम करता हूं। मेरे व मेरे पडोस में ही रहने वाले मृतका के पिता मनोज से पारिवारिक सम्बन्ध है। वह व उसके परिवार वाले मेरे कमरे पर आते रहते है मनोज मंडल का देहान्त करीब 3 महीने पहले बीमारी के कारण हो गया था लेकिन मनोज के बच्चे मेरे पास आते रहते थे। दिनांक 15/07/2026 को मनोज की लडकी (मृतका) रात करीब 10.15 बजे मेरे कमरे पर आ गई थी फिर हम दोनों ने खाना खाया और मेरी व मृतका की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और हम झगडते झगडते बालकोनी में आ गये मेरा कमरा चौथी मंजिल पर है। जब विवाद ज्यादा बढा तो मैनें मृतका को जान से मारने की नियत से कमरे की बालकोनी से सडक पर धक्का दे दिया था जब मैनें उसे बालकोनी से धक्का दिया तो नीचे गली मे उसकी मां व बहन भी खडी थी तो उन्होने भी मुझे धक्का देते हुए देख लिया था। मृतका ने कुछ दिन पूर्व मेरे कमरे से मेरे दो फोन चुरा लिये थे तो मैं अपने फोन लेने उनके घर गया था जहा पर मृतका की मां भी मौजूद थी। मैनें उस दिन भी मृतका को डांटा था और उसको एक चांटा भी मार दिया था। मैं काफी डर गया था तो मैं वहा से भागकर अपने घर लोनी चला गया था ओर मुझे पता चला था कि उसकी ईलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो गई है और उसकी मां ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है तो मैं अपने मालिक से खर्चे के रुपये लेने के लिए आया था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी जितेन्द्र का किराये का मकान भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी पूजा कालोनी जीवन गेट के पास लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।